श्रीमान जी,

2021/310

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी मंगत सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति रायसिख निवासी गांव पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं रसीद की प्रति एवं रसीद गुम होने का हलफनामा पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री दलीप सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति रायसिख निवासी गांव पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 13.10.2017 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 08.09.2020 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 13.10.2017 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान पूर्ण सिंह पुत्र करतार सिंह एवं सतनाम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। 8/1/21

जिला पंजीयक महोदय

this